



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102025-266803
CG-DL-E-09102025-266803

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4442]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2025/आश्विन 15, 1947

No. 4442]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2025/ASVINA 15, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4570(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न खनिजों के लिए खनिज विनियम को पंजीकृत और विनियमित करने हेतु भारतीय खान ब्यूरो को प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. एम.VI-16/7/2024-एम.VI-भाग(5)]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 2025

S.O. 4570(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby appoints the Indian Bureau of Mines as the authority to register and regulate mineral exchanges, for minerals other than those specified in Part A and Part B of the First Schedule to the said Act.

[F. No. M.VI-16/7/2024-M.VI-Part(5)]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.